क्रम-संख्या–10

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 जनवरी, 2018

पौष 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2727/79-वि-1–17-1(क) 22-17

लखनऊ, 5 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 19 अगस्त, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यह कि इस उप धारा के प्राविधान दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 से पूर्व मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्डों को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ–1) "जूनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है, जिसमें कक्षा पाँच तक की शिक्षा दी जाती है।

(घ–2) "जूनियर हाई स्कूल" का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है, जिसमें छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक लड़कों या लड़कियों या दोनों को शिक्षा दी जाती है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2017

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2017 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में पद "बेसिक शिक्षा" इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि बेसिक शिक्षा का तात्पर्य हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और तद्नुसार पद "बेसिक स्कूलों" का अर्थ लगाया जायेगा। पद "जूनियर बेसिक स्कूल" और "जूनियर हाई स्कूल" उसमें परिभाषित नहीं थे जिसके कारण राज्य सरकार के समक्ष विषम स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं और विभिन्न न्यायालयों में संस्थित वादों का निस्तारण प्रायः वादियों के पक्ष में हो रहा था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि पद "जूनियर बेसिक स्कूल" और "जूनियर हाई स्कूल" को परिभाषित करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2017) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2727(2)/LXXIX-V–1–17-1(ka) 22-17
Dated Lucknow, January 5, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018 :–

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. ACT NO. 2 OF 2018)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eight Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 19, 1972.

Provided that the provisions of this sub-section shall not affect anything done or any action taken before 26th October, 2017 under the principal Act.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, *after* clause (d) the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(d-1) "Junior Basic School" means a basic school in which education is imparted upto class fifth.

(d-2) "Junior High School" means a basic school in which education is imparted to boys or girls or to both from class sixth to class eighth."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 3 of 2017

3.(1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2017 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the coresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U.P Act no. 34 of 1972) has been enacted to provide for the establishment of a Board of Basic Education in the Sate of Uttar Pradesh. In clause (b) of section 2 of the said Act, the expression " basic education" has been defined in this way that "basic education" means education upto the eighth class imparted in schools other than high schools or intermediate colleges, and the expression "basic schools" shall be construed accordingly. The expressions "junior basic school" and "junior high school" were not defined therein due to which odd situations were being created before the State Government and the cases instituted in various courts were often being disposed off in favour of the plaintiffs. In view of the above, it has been decided to amend the said Act to define the expressions "junior basic school" and "junior high school".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2017 (U.P. ordinance no. 3 of 2017) was promulgated by the Governor on October 26, 2017.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 798 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2505)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 159 सा0 विधायी–2018–(2506)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।